





फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-उदयपुर (राज.)

बनाम _____
 पत्रावली संख्या _____ सन _____

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
31/5/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्तर्गत राजकीय कार्य में व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/6/24 को पेश हो। 	
28.6.24	पत्रावली पेश हुई, उन्नत पत्र न्यायालय में अनुपस्थित बहस हेतु अन्तिम प्रयास किया जाकर, अन्तिम पेशी पर बहस हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे, अनुपस्थित रहने पर छूट तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 26/7/2024 को पेश हो। 	
26.7.24	पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/9/24 को पेश हो। 	
6.9.24	पत्रावली पेश हुई, श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/9/24 को पेश हो। 	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान अधिकारी महोदय अन्तर्गत अनुपस्थित, न्यायालय लाजा द्वारा आवेदि लगाई गई, बार-बार आवेद लगाते पर भी न तो प्रार्थी उपस्थित हुए और न ही प्रार्थी के अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए प्रार्थी ने न्यायालय में पेश होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो न्यायालय	

प्राथमिक से अपेक्षा करता है कि वे पेशी पर उपस्थित होकर प्रकरण की पेशी करें, प्राथमिक की अनुपस्थिति यह शर्त है कि वे अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर न हों। अतः प्राथमिक का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर वकील किमा जात है पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में चुनावों का पत्रावली केवल अनुसूचित होकर नम्बर से कम की जाये।